BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 880 OF 20 22

MEMORANDUM OF REPLY

(UNDER RULE-16 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (PRACTICE AND PROCEDURE) RULES- 2011)

IN

O.A. NO. 880 / 2022

IN THE MATTER OF

SOHAN VIR SINGH & ORS. .... APPLICANT

VERSUS

VIRENDER KASHYAP & ORS. .... RESPONDENTS

:: INDEX ::

S.No.	Particulars	Pages
1.	Synopsis	1 – 3
2.	Memo of Parties	4 –5
3.	List of Dates and Events	6 –7
4.	Memorandum of Reply Along with Supporting Affidavit.	8 –15
5.	Annexure – R-1 Copy of order passed by the court of SDM	16 –17

	Ghaziabad in Proceeding No. 03/2011 U/s, 133 Cr.Pc.	
6.	Annexure – R-2 Copy of Plaint in OS 07/2011 Virender Kasyap Versus Sonu and other Court of IACJ (J.D.) Ghaziabad.	18 –23
7.	Annexure – R-3 Copy of Ameen Commission Report dated 13.01.2011 in OS 07/2011 Court of I ACJ (J.D.) Ghaziabad	24 –26
8.	Annexure – R-4 Copy of Judgment in OS 07/2011 Passed by Hon'ble IACJ (J.D.) Court Ghaziabad	27 –30
9.	Annexure – R-5 Copy of License Granted by Nagar Palika Parishad Loni Respondent No.-2 dated 14.01.2016	31 –32
10.	Annexure – R-6 Copy of Intermediate Certificate of Respondent No. 1 dated 05.07.1994.	33
11.	Annexure – R-7 Copy of speed post sent by applicant's Advocate alowngwith delivery status report dated 11.01.2023	34 –35

नीटू

12.	Annexure – R-8 Copy of O.A. without verification sent by applicant's advocate.	36 –39
13.	Annexure – R-9 Copy of wrong affidavit of O.A. applicant sent by applicant's advocate.	40 –41
14.	Annexure – R-10 Photostate of Aadhar card of Respondent no. 1	42
15.	Vakalatnama	43

DELHI :

DATED ; 24.01.2023

RESPONDENT NO. 1

THROUGH COUNSEL

Ranjeet Chhonkar, Advocate,
Regn. No. UP-L03950/19
Chamber No. 272,
Distt. Court Compound, Raj Nagar, Ghaziabad

Email.
Ranjeetchhonkar@gmail.com

Thakur Munna Singh, Advocate
Chamber No. 272,
C.O.P No. 079130/2018
Distt. Court Compound, Ghaziabad
Mob. No.- 9650363405

4

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Court No. 2

ORIGINAL APPLICATION NO. 880 OF 20 22

MEMORANDUM OF REPLY

SOHANVIR SINGH V/S VIRENDAR KASHYAP & ORS

(UNDER RULE-16 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (PRACTICE AND PROCEDURE) RULES- 2011)

IN

O.A. NO. 880 / 2022

IN THE MATTER OF : -

MEMO OF PARTIES

SOHAN VIR SINGH

S/O WARD NO. 10, RAJIV GARDEN,

MAIN MANGAL BAZAR ROAD,

LONI, GHAZIABAD (U.P.)

.... APPLICANT

VERSUS

1. VIRENDER

   S/O SHRI NAAHAR SINGH

   R/O WARD NO. 10, RAJEEV GARDEN,

   MAIN MANGAL BAZAR ROAD,

   LONI, GHAZIABAD (U.P.)

2. MUNICIPAL

   CORPORATION OF LONI, GHAZIABAD

   THROUGH ITS COMMISSIONER

वीरेन्द्र

5

TEHSIL LONI, DISTRICT GHAZIABAD (U.P.)

3. DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD

UTTAR PRADESH.

.... **RESPONDENTS**

DELHI :

DATED ; 24-01-2023

RESPONDENT NO. 1

THROUGH COUNSEL

Ranjeet Chhonkar, Advocate,
Regn. No. UP-L03950/19
Chamber No. 272,
Distt. Court Compound, Raj Nagar, Ghaziabad
Email.
RanjeetChhonkar@gmail.com

(Munna Sh)
Thakur Munna Singh, Advocate
Chamber No. 272,
C.O.P No. 079130/2018
Distt. Court Com[illegible]
Mob. No.- 965[illegible]

6

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Court No.-2

ORIGINAL APPLICATION NO. 880 OF 20 22

SOHANVIR SINGH V/S VIRENDAR KASHYAP & ORS

(UNDER SECTION 14 & 18 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT, 2010)

The present original application has been filed under Section 14 read with section 18 of National Green Tribunal Act. 2010 against the respondents by the applicant. Reply on behalf of Respondent No. 1 is being filed for dismission the original Application.

LIST OF DATES AND EVENTS

30.01.2013	:	Copy of order in proceeding U/s 133 Cr.P.C. passed by Hon'ble S.D.M. Court, Ghaziabad in proceeding No. 03/2011 **Annexure R-1**
05.01.2011	:	Certified copy of Original Injunction suit No. 07/2011 Virender Kashyap V/s Sonu and Others (Plaint). **Annexure R-2**
13.01.2011	:	Certified copy of Ameen Comission Report in O.S. No. 07/2011 Virendra Kashyap V/s Sonu & Ors. **Annexure R- 3**
14.03.2018	:	Certified copy of Judgment by Hon'ble Ist A.C.J. (Jr. Divn.) Court, Ghaziabad in O.S. No. 07/2011. **Annexure R- 4**

7

14.01.2016	:	Certified copy of Licence Granted by Nagar Palika Parishad, Loni. Licence issued by the Respondent No. 2 Nagar Palika Parishad, Loni **Annexure R-5**
05.07.1994	:	Copy of Intermediate (Agriculture Passed Certificate of Asnwering Respondent No. 1 **Annexure R-6**
11.01.2023	:	Post Envelop with delivery status report has annexed as **Annexure R-7**
11.01.2023	:	Photostate copy of Original Application availed on 11.01.2023 by applicants advocate is annexed herewith is **Annexure R-8**
11.01.2023	:	Copy of Affidavit Availed by Original Applicants Advocate is annexed herewith as **Annexure R-9**
20.01.2023	:	Photocopy of Aadhar card of Answering Respondent No. 1 is annexed herewith as **Annexure R-10**
21.01.2023	:	Vakalatnama is annexed herewith as **Annexure R-**

Dated : 24-01-2023

Answering Respondent No. 1

Virender Kashyap S/o Lt. Nahar Singh Kashyap

Through Counsel

Ranjeet Chhonkar, Advocate,
Regn. No. UP-L03050/18
Chamber No. 272,
Distt. Court Compound, Raj Nagar, Ghaziabad

Thakur Munna Singh, Advocate
Chamber No. 272,
C.O.P No. 079130/2018
Distt. Court Compound, Ghaziabad
Mob. No.- 9650363405

37

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Court No-2

ORIGINAL APPLICATION NO. 880 OF 20 22

SOHANVIR SINGH V/S VIRENDAR KASHYAP & ORS

(UNDER SECTION 14 & 18 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT, 2010)

REPLY BY RESPONDENT NO.-1

Sir,

On behalf of Respondent No.1 Virendra Kashyap, is as under:-

1. That, the facts mentioned in clause-I in the original application are wrong therefore not admitted. The applicant and his associates are very quarrel some persons.

2. That, the facts given in clause-2 of the Original application are wrong, but the running of a shop of cattle Fodder by the answering respondent is admitted.

3. That, the facts and photograps Annexure-A-1 with the Original Application are false and fabricated. Contents in Para-3 of O.A. not admitted.

4. That, the facts given in clause No. 4 and Annexure A-2 in O.A. are also wrong, not admitted.

5. That, the facts mentioned in clause-5 in O.A., Annexure A-3 are wrong and unwanted, not admitted.

6. That, facts mentioned in clause-6 of the application(O.A.) and Annexure A-4 are also wrong and unwanted, not admitted.

7. That, the facts mentioned in clause-7 of the application are wrong and not admitted. There is no violation of norms, rules and law-provisions relating to air pollution by the answering respondent. There is no air pollution caused by the shop of answering respondent.

8. That, contents mentioned in clause no.-8 of the application are incorrect therefore not admitted. No authority can take action on wrong complaints.

9. That, contents in clause no. - 9 of the application are wrong, not admitted. The answering respondent with due respect hope for justice with the Hon'ble Tribunal.

10. That, contents in para-10 of the application are incorrect and wrong, therefore not admitted. There is no air pollution caused by the answering respondent and his Cattle Fodder shop.

On - **LIMITATION**

11. That, this application is highly time barred. The applicant concealed the real facts about the limitation and in this support affidavit filed by the applicant is within the Circumference under Section 340 Cr. P.C. The applicant and his Supporting associates Dharamveer, Jagpal, Neeraj and others malafidely suppressed the litigations since before the year 2010 and running the Cattle Fodder Shop is working before year 2010. Therefore time O.A. is time barded Under Section 14 (3) The N.G.T. Act. 2010

वीरेन्द्र

On- **PRAYER**

12. That, the applicant due to the circumstances, the applicant does not entitled for the relieves (a, (b) and c) as prayed in O.A. prayer clause.

ADDITIONAL FACTS (SPECIAL PLEAS)

13. That, the original application is with false facts, false and fabricated, false and vexatious.

14. That, the original application of the applicant is highly time barred. The applicant and all his associates have been known the cause of action since before the year 2010.

15. That, in 2010 proceedings under Section 133 Cr.P.C. have been decided in 2013 Copy of the order dated 30.01.2013 under Section 133 Cr.P.C. is annexed here with as Annexure No. R-1

16. That, an Injunction suit OS Number 07/2011 Virendra Kashyap V/s Sonu and Others have been decided on 14.03.2018 in favour of the answering respondent. Applicant is the real brother of Sonu and Jagpal and Dharamveer was also defendant in that suit and on the occasion of proceedings Commission Amin dated-13-01-2011 alongwith his brothers and family members present applicant also became quarrelsome with the officials of Hon'ble Civil Court. Plaint of OS 07/2011 is annexed herewith as Annexure No. R-2 and copy of Commission Report is annexed herewith as Annexure No. R-3 and Judgement is Annexure No R-4

17. That, during the pendency of suit 07/2011, Mr. Jeetendra Singh, his sister Smt. Amresh, his sister's son Sachin purchased this shop, sold by applicant's brother sonu. Mr. Jeetendra Singh is

ASI in Delhi Police and resident of in the street behind answering respondent house and Mr.Jeetendra Singh abetting and Provocating the applicant and his family members.

18. That, there are so many cattle Fodder Shops running in the area of Nagar Palika Parishad Loni even in the streets of answering respondent, but only a valid license issued by Nagar Palika Parishad Loni holds the answering respondent. No.-1. The license issued by the Nagar Palika Parishad Loni is annexed herewith as Annexure No.-R-5

19. That in as 2011 applicant's brother Sonu during the cross examination as defendant witness (D.W.) admitted the other cattle Fodder Shops running in Mangal Bazar. The said Mangal Bazar is a Weekly evening Bazar in the Village Dharauti Khurd in the land of Khasra No. 178, 196, 201 etc.

20. That, Cattle Fodder (Bhusa) is an agricultural good food for cattles in entire country, causing and spreading particulars no air pollution. All the particulars are separated from the Fodder (Bhusa) during the process of threshing in the fields.

21. That, no air pollutants comes out and spreading during the process of unloading, storing and selling by the respondent-l.

22. That, the answering respondent with all precautions carries on his business of selling the Fodder (BHUSA) and he always get unloaded the BHUSA from the carriers in midnight while no persons passes nearby.

23. That, during the trial of OS 07/2011, neighbourer Sattar Khan and others examined as PWS and even all the Family members of the answering respondent are of good health.

24. That neither Appeal as provided in Section-31B. The Air (Prevention And Control of Pollution Act.-1981 has been filed before this Hon'ble Tribunal nor plea about the Hon'ble Tribunal had been taken during the trial of OS-07/2011 by the defendant and brothers of the O.A. Applicant.

25. That,the answering respondent is Agriculture Intermediate passed man knows all about the Cattle Fodder discharging no air pollutant. The educational certificate of Agriculture Intermediate is annexed herewith as Annexure No. R- 6

26. That, the applicant, his Family member and his associates have inimical terms with the answering respondent and his family, therefore they have falsely prepared the documents in 2022 for the intention to cause injury and damages to the answering respondent.

27. That, the answering respondent never breached any provision of the environment (Protection) Act 1986 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981.

28. That, the application of the applicant have been filed misleading, malafidely, false and vexatious before this Hon'ble Tribunal due to which the application of the applicant is liable to be dismissed.

29. That, application of the applicant is liable to be dismissed with heavy cost under Section 23 The National Green Tribunal Act 2010.

30. That, the application sent by the Applicant's Advocate Shri Vasu Gupta is violating the time limit of 15 days and beyond the order of 15 days. Envelop alongwith the delivery status, report are annexed herewith as Annexure- R-7

31. That, the original application is without verification as required in form I, therefore application is not maintainable and is liable to be dismissed with cost. Copy of Original Application availed by Applicants is Annexed as Annexure R-8

32. That, the affidavit filed in support of original application by the applicant is also wrong. Because heading of the affidavit is a copy of Original Application- /2020 and the first clause of the affidavit relates to some other Company other than the applicant, therefore, the application of the applicant is not maintainable and is liable to be dismissed with cost. The copy of Affidavit availed by Applicant is Annexes herewith as Annexure No. R.- 9 , and Photostate of Aadhar Card of Answering Respondent is Annexed herewith as Annexure No. R-10

THROUGH: COUNSEL

VERIFICATION :

Verified at **Delhi;** on this day of **January 2023** that the contents of this Reply from Para no.1 to 28 are true and correct to the best of my knowledge, and rest from para no. 29 to 32 are true on legal advice, nothing has been concealed therefrom.

RESPONDENT NO.- 1

Ranjeet Chhonkar, Advocate,
Regn. No. UP-...950/19
Chamber No. 272,
Distt Court Compound, Raj Nagar, Ghaziabad

Thakur Munna Singh, Advocate
Chamber No. 272,
C.O.P No. 073130/2018
Distt. Court Compound, Ghaziabad
Mob. No.- 9650363405

43

14

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Court No. 2

ORIGINAL APPLICATION NO. 880 OF 20 22

(UNDER SECTION 14 & 18 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT, 2010)

IN THE MATTER OF

SOHAN VIR SINGH & ORS. .... **APPLICANT**

VERSUS

VIRENDER KASHYAP .... **RESPONDENT**

:: AFFIDAVIT ::

I, **VIRENDER KASHYAP** S/o Sh. Nahar Singh, R/o Ward No. 10, Rajiv Garden, Mangal Bazar, Loni, Distt. Ghaziabad, U.P. do hereby solemnly affirm and state on oath as under :-

1. That, the deponent is the respondent No.1 in the said matter and well conversant with facts of the case and competent to swear this affidavit.

2. That, I have filed accompanying Reply, contents of which may kindly be read as part and parcel to this Affidavit as well, which are not being repeated here for the sake of brevity.

3. That, the accompanying Reply has been drafted by my counsel and I have signed the same after having gone through and understood the contents of which were read over and explained to me in vernacular.

4. That, the facts mentioned therein in the Reply are true and correct to the best of my knowledge and belief and also based on legal advice and believed by me to be true and correct.

VERIFICATION :

24 JAN 2023

DEPONENT

Verified at Delhi on this day of Jan' 2023 that the contents of above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

24 JAN 2023

DEPONENT

Identified by

(Munna S.)

Ranjeet Chhonkar, Advocate,
Regn. No. UP-L03259/18
Chamber No. 272,
Distt.Court Compound, Raj Nagar, Ghaziabad

Thakur Munna Singh, Advocate
Chamber No. 272,
C.O.P No. 079130/2018
Distt. Court Compound, Ghaziabad
Mob. No.- 9650363405

I Identify the Deponent who has signed in my presence.

The Seal of The Oath Commissioner
Sl. No. 129/2021
MANPREET KAUR AHUJA
App. By Delhi High Court
Period 29-10-2021
28-10-2023
New Delhi

CERTIFIED THAT THE DEPONENT Upendra Kashyap
Sh./Smt./Km. Nahar Singh
S/o W/o D/o Adv. Thakur Munna Singh
R/o
Identified by Sh./Smt. ... before me at
has solemnly affirmed the affidavit ...
Delhi on ...
That the contents of the affidavit which have been read/explained to him/her are true & correct to his knowledge.

6/2/23

Oath Commissioner, Delhi

16

कार्यवाही संख्या : 03 / 2011

सरकार बनाम

धारा – 133 सी.आर.पी.सी.

श्री विरेन्द्र पुत्र श्री नाहर नि0 मंगल बाजार राजीव गार्डन 40 फुट रोड वार्ड नं0 24 थाना–लौनी

नकल आदेश 13-3-13

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रभारी निरीक्षक लौनी की आख्या दिनांक 04-02-11 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। प्रभारी निरीक्षक लौनी ने अपनी आख्या में अवगत कराया कि मौहल्ला राजीव गार्डन 40 फुटा रोड शमशान घाट के आगे वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नाहर सिंह द्वारा भूसे की दुकान खोल रखी है। वीरेन्द्र कुमार प्रतिदिन भूसें की ट्राली उतारता है। भूसे की ट्राली उतारने व पूरे दिन बेचने से भूसे की किनकी (भूसे की धूल) उड़ने से पड़ोसी धर्मवीर पुत्र महीपाल व धर्मवीर का भाई हार्ट पैसेन्ट है जो इसी भूसे के कारण बीमार हुआ है। पूरे मौहल्ले के लोग इस स्थान पर भूसा बेचने का विरोध कर रहे हैं। अन्त में अन्तर्गत धारा 133 सी0 आर0 पी0 सी0 की कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त आख्या प्राप्त होने पर विपक्षी के विरूद्व अन्तर्गत धारा 133 (1) सी0 आर0 पी0 सी0 का नोटिस जारी किया गया जो पर्याप्त तामील के उपरान्त विपक्षी ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दाखिल की गयी जिसमें अभिलिखित किया कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 28-02-11 प्रार्थी के भूसा बेचने को तत्काल बन्द कर देने बाद आपत्ति प्रस्तुत करने का है जो ठीक ऐसी प्रकृति का है जो विधि व तथ्यों की वास्तविकता के विपरीत है। एक मात्र पुलिस रिपोर्ट कोई ग्राहय साक्ष्य नहीं है। इसके समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है इसके अतिरिक्त एक अन्य सशर्त आदेश दिनॉक 28-02-11 को निकाल कर अपास्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा अभिलिखित किया गया कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश धारा 133(1) सी0 आर0 पी0 सी0 दिनॉक 28-02-11 प्रार्थी को बिना सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिये पारित किया गया है जो एकपक्षीय आदेश की श्रेणी में आता है। यह कि उक्त आदेश पुलिस आख्या पर बिना साक्ष्य पर आधारित है जो विधि विरूद्व है। पुलिस रिपोर्ट कोई ग्राहय साक्ष्य नहीं है। यह कि मा0 न्यायालय में पेषित पुलिस आख्या में सिविल कोर्ट गाजियाबाद न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0) गाजियाबाद में विचाराधीन वाद सॅख्या 07/11 वीरेन्द्र बनाम सोनू आदि के उल्लेख का इसलिए विलोप है कि दौरान कार्यवाही कमीशन दिनॉक 13-01-11 को शिकायतकर्ता तथा शिकायतकर्ता सोनू आदि कमीशन करने पहुँचे कर्मियों से तथा प्रार्थी/ आपत्तिकर्ता से आमादा फौजदार हुए थे जिससे शिकायतकर्ता और उसके सहयोगियो माफियों के झगड़ालू होने के आचरण का पता लग जायेगा। यह कि परितयों में पशुओ का चारा–भूसा आदि उपलब्ध नहीं होगा तो ताजा व शुद्ध दूध से आसमुदाय शहरों नगरों में वंचित हो जायेगा। विपक्षी ने अपने साक्ष्य में वीरेन्द्र व [illegible]पाल व अब्दुल सत्तार आदि के शपथ पत्र भी दाखिल किये गये। मा0 सिविल जज (जू0

2/2 17 R-1/2

डि0) गाजियाबाद में विचाराधीन वाद संख्या 7/11 विरेन्द्र बनाम सोनू की भी सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को गहनतॉ पूर्वक सुना गया। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में पत्रावली पर दाखिल आपत्ति पर बल देते हुए कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गयी है वह बिल्कुल रंजिश के आधार पर की गयी है और न ही शिकायतकर्ता शिकायत करने के उपरान्त न्यायालय में उपस्थित आ रहा है इससे यह स्पष्ट है कि शिकायत गलत व झूठी की गयी है। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि मा0 सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है ऐसी स्थिति में वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाये।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि विपक्षी विरेन्द्र पुत्र नाहर निवासी मंगल बाजार राजीव गार्डन 40 फुटा रोड वार्ड नं0 24 लौनी थाना लौनी को जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 133 (1) सी0 आर0 सी0 दिनॉक 28-02-11 वापिस लिया जाता है तथा प्रश्नगत कार्यवाही सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 138 (3) के अन्तर्गत समाप्त की जाती है। इस आदेश की एक प्रति प्रभारी निरीक्षक लौनी को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉक 30-01-2013

(केशव कुमार)

उप-जिलामजिस्ट्रेट गाजियाबाद।

कोर्ट फी 5 COURT FEE INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

कोर्ट फी 5 COURT FEE Rs.5 INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

जाँच पर्ता ... 8 ...
सुनाना पर्ता ... [illegible]

१. आवेदन का तनाव 4-2-13
२. प्रार्थना को तैयारी का दिनांक 4-2-13
३. नकल देने की तिथि 4-2-13
४. [illegible] 10-02-13

ATTESTED
READER
S D O/S.D.M.
GHAZIABAD

145
16-1-2023

18

R-2
1

न्यायालय श्रीमान I A.C.J (J.D) गाजियाबाद
मूल वाद संख्या 07/2011
वीरेन्द्र सिंह बनाम सोनू आदि

प्रमाणित प्रति वाद पत्र —

Date 16-01-2023

प्रार्थना पत्र देने की तिथि 16/1/23
नोटिस/तैयार की तिथि 20/1/23
प्रतिलिपि देने की तिथि 20/1/23
बीस जनवरी 023
20/1/23
मुख्य प्रतिलिपिक
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

STAMP 10 Rs 100
आवेदक

Head Copyist

Thakur Munna Singh, Advocate
Chamber No. 27..,
C.O.P No. 07...
Dist. Court Compound, Ghaziabad
Mob. No.- 9550...

48

O.S/3600007/2011
Filling 0909010595/2011

दर्ज हुआ

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जूनियर डिवीजन) गाजियाबाद

वाद सं0 07 सन-2011

बीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह कश्यप, निवासी मंगल बाजार निकट वकील बिल्डर्स राजीव गार्डन कलोनी, गांव धारौटी खुर्द, वार्ड नं0 24, लोनी, थाना-डाकखाना- परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद।

--- वादी

बनाम

1. सोनू (चक्की वाला (प्रतिवादी सं02 का भाई) पुत्र अन्तराम, निवासी (पता मालूमात होने पर भरा जावेगा)
2. जयपाल उर्फ अगत सिंह (चक्की वाला) प्रतिवादी सं0 1 का भाई पुत्र नामालूम (मालूमात होने पर भरा जावेगा)
3. बिरम सिंह पुत्र महीपाल
4. धर्मवीर पुत्र महीपाल
5. कमलेश पत्नी धर्मवीर
6. अमित पुत्र धर्मवीर
7. वेदवती पत्नी जगत सिंह

सभी निवासीगण मंगल बाजार निकट वकील बिल्डर्स, राजीव गार्डन कलोनी, गांव धरौटी खुर्द, वार्ड नं0 24, लोनी, थाना- डाकखाना- परगना- लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद।

-- प्रतिवादीगण

बीरेन्द्र कुमार

-2-

वाद वास्ते डिक्री स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा:
========

श्रीमान जी,

वादी का सविनय निवेदन है:
====

1. यह कि वादी सीधा सादा, अमन पसन्द, मेहनत मजदूरी, नेक कमाई करने वाला सामाजिक आदमी है जबकि प्रतिवादीगण गिरोहबन्द, मुठमर्द, चालाक प्रवृतित्त के भूमाफियों से सम्बन्ध रखने वाले हैं। प्रतिवादीगण 3 ता 6 वादी के भाई अंग्रेजपाल के ससुराल के रिश्तेदार हैं तथा विरादरान कारणों से वादी से रंजिश रखते हैं।

2. यह कि वादी कई वर्षों से अपनी दुकान में स्थित पते उक्त पर वादी पशुओं के भूसा बेचने का काम करके अपने परिवार का गुजारा करता है जबकि प्रतिवादी सं0 1 चक्की चलाकर आटा पीसने व आटे में चावल की किनकी पीसकर मिलावट करके बेचने का कारोबार करता है जो चावल की किनकी आटे में मिलावटी हो जाने पर मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालती है जिससे शरीर के सुन्न हो जाने की बीमारी फैलती है तथा प्रतिवादी सं0 3 अपनी दुकान में मिलावटी तेल, आटा, घी शक्कर व अरहड़ की दाल बताकर ______ की दाल बेचने का काम करना है जिस खेसारी की दाल से मानव शरीर के आंतरि अंगों को हानि पहुँचती है और फेफड़े खराब होने व अटैक पड जाने की सम्भावना प्रबल हो जाती है।

3. यह कि प्रतिवादी सं0 2 ने अपने मकान के तथा वादी की दुकान के सामने खडन्जे से लोहे का जीना चढाया हुआ है जिससे वादी के दुकान व मकान में चोरों के घुस जाने की सुविधा पैदा होती है जबकि प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने अपनी

वीरेन्द्र कुमार

दुकान व मकान के आगे मैन खडन्जे पर 6-7 फिट चौडाई में चबूतरा बनाकर टीन शैड डाला हुआ है तथा नल भी खडन्जे पर लगाया हुआ है जिससे मुख्य खडन्जा मार्ग को उपयोग की कमी पैदा होती है तथा प्रतिवादी सं0 1 की चक्की की धलक से पास पडौस के तमाम मकानो के निर्माण दीवारें हिल गयी है।

4. यह कि वादी का भूसा बेचने का कार्य जिसे इस वाद पत्र में आगे सिर्फ विवादित कारोबार कहा गया है, पूर्ण रूप से वैधानिक है। भूसा गेहूँ अनाजों की फसल से किया हुआ पूर्ण रूप से कृषि उपज है जो गाय भैंस आदि दुधारू पशुओं को पोष्टिक आहार है जबकि प्रतिवादीगण के कारोबार पूर्णतः अवैधानिक व हानिकारक है।

5. यह कि प्रतिवादीगण, वादी की दुकान को स्थित मंगल बाजार, निकट वकील बिल्डर राजीव गार्डन कलौनी गांव धरौटी खुर्द, वार्ड नं024 लौनी, थाना-डाकखाना- परगना- लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद स्थित वादी के भूसा बेचने के कारोबार को अवैधानिक रूप से बन्द कराकर वादी को बेरोजगार करना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है । अपने इसी पैंत बेजा के लिये प्रतिवादीगण ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद को प्रेषित गलत तथ्यों के कथनों सहित प्रार्थना पत्र पर दिनांक 1.1.2011 को इन्द्रापुर पुलिस चौकी पर जबरन फैसलानामा लिखाया और दिनांक 1.01.2011 को आकर प्रतिवादीगण ने वादी से, वादी के कारोबार स्थित मंगल बाजार, राजीव गार्डन धरौटी खुर्द लोनी पर उपस्थित वादी से अतिशीघ्र विवादित कारोबार को बन्द करने को धमकाया वादी ने बहुत अनुनय विनय प्रतिवादीगण से वादी के

वीरेन्द्र कुमार

22

R-2/5

-4-

के कारोबार को बन्द न करने हेतु की तो प्रतिवादीगण अपने फैल बेजा से बाज आने को आखिरी इन्कार कर गये ।

6. यह कि न तो कानूनन कालौनी, लोनी शहर देहातों में चल रही भूसा बेचने की दुकानों की भांति वादी का विवादित कारोबार और न हीं सडकों पर ईट रोडी बदरपुर रेत आदि बेचने के कारोबार जिनसे धूल उडकर प्रदूषण फैलता है, को अवैधानिक रूप से नहीं बन्द कराया जा सकता है। जबकि वादी के विवादित कारोबार से कोई प्रदूषण नहीं फैलता तथा वादी पूरी रोकबन्दी से अपना विवादित कारोबार चला रहा है। किन्तु प्रतिवादीगण वादी की रोजी रोटी रोजगार को बरबाद करना चाहते हैं।

7. यह कि वाद का कारण दिनांक 01 जनवरी 2011 को वादी की दुकान में स्थित मंगल बाजार निकट वकील बिल्डर्स, राजीव गार्डन कलोनी, धारोटी खुर्द वार्ड नं0 24 लोनी, परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद प्रतिवादीगण वादी से विवादित कारोबार को बन्द कराने के प्रयास फैल बेजा से बाज के आखिरी इन्कार से उत्पन्न है जो न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में है।

8. यह कि वादी के विवादित कारोबार स्थल का नक्शा इस वाद पत्र के अन्त में दिया गया है।

9. यह कि वाद का मूल्यांकन विवादित कारोबार के लिये रूपये 1000/- पर नियत किया जाकर नियत न्याय शुल्क रूपये 37.50 नियमानुसार अदा है।

10. यह कि वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस वाद पत्र की प्रार्थना क्लाज में प्रार्थित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है:-

अत: न्यायालय श्रीमान जी से प्रार्थना है:

अ. यह कि स्थायी निषेधात्मक निषेधाज्ञा की डिक्री बाहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की पारित की जावे कि प्रतिवादीगण अवैधानिक तरीके

वीरेन्द्र कुमार

-5-

से वादी की भूसा बेचने की विवादित कारोबार को बन्द कराने व कारोबार में अवैधानिक हस्तक्षेप करने से हमेशा के लिये बाज रहे।

ब. यह कि अन्य अनुतोष जो राय अदालत हितकर वादी हो, वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

स. यह कि इस वाद का वाद व्यय वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जाये ।

नक्शा नजरी
=======

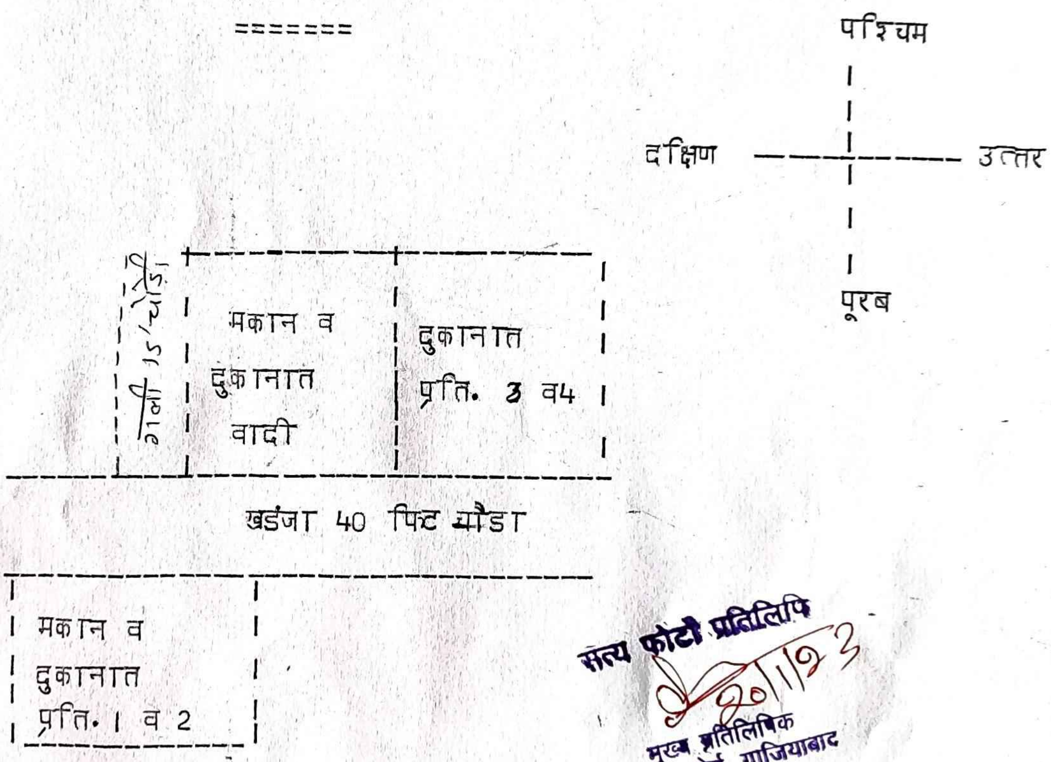

सत्यापन :-
======= मैं वादी सत्यापित करता हूँ कि
उपरोक्त वाद पत्र की धाराये 1 ता 6 व 8
मेरे निजि ज्ञान में शेष कानूनी सलाह पर
मेरे विश्वास में सब सत्य है।
प्रमाणित स्थान- गाजियाबाद

दिनांक: 5-1-2011

वादी
वीरेन्द्र कुमार

वीरेन्द्र कुमार

द्वारा अधिवक्ता

Munna Singh, Advocate
Chamber No. 272.
New Court, Ghaziabad

सत्य फोटो प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

145
16-1-23

24

R-3
1

न्यायालय श्रीमान I.A.C.J. (J.D.) गाजियाबाद

वाद संख्या 07/2011

वीरेन्द्र बनाम सोनू आदि

प्रमाणित प्रति कमीशन अमीन रिपोर्ट

जनपद न्यायालय प्रतिलिपि विभाग गाजियाबाद

Date- 16-01-2023

STAMP..........10 — 100

प्रार्थना पत्र देने की तिथि 16/1/23
नोटिस / तैयार की तिथि 20/1/23
प्रतिलिपि देने की तिथि 20/1/23

बीस जनवरी 2023

20/1/23

मुख्य प्रतिलिपिक
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

Head Copyist आवेदक

Thakur Munna Singh, Advocate
Chamber No. 272,
C.O.P No. 079130/2018
Distt. Court Compound, Ghaziabad
Mob. No. ...03405

CNR-UPGZ-000074-2011

R-3/2

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) गाजियाबाद

मूलवाद सं० 7 सन् 2010

वीरेन्द्र बनाम सोनू आदि

" कमीशन रिपोर्ट अमीन "

श्रीमानजी,

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अपने अर्दली को साथ लेकर वास्ते कमीशन कार्यवाही हेतु दिनांक 13-1-11 को विवादित स्थल वादी का मकान, स्थित मेंगल बाजार निकट वकील बिल्डर्स राजीव गार्डन कालोनी गांव घरोटी खुर्द वार्ड नं० 24 लोनी परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद पर पहुंचा। जहाँ वादी परिवार सहित रहकर आस-पास प्रतिवादीगण मिले, उपस्थित आये। माननीय न्यायालय के आदेश से अवगत कराया गया। प्रतिवादीगण, वादी व वादी के परिवार के साथ शोर-शराबा तथा कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने लगे व मुश्किल समझाकर कमीशन कार्यवाही व प्रतिवादीगण को उनके नोटिस आज मय कागजात प्राप्त कराये गये। प्रतिवादीगण व उनके परिवार के सदस्य काफी झगडालू व किसी की बात को न मानने वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। तत्पश्चात वादी की निशानदेही पर अन्य उपस्थित पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित स्थल का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक माप लेकर नक्शा नजरी मय माप बनाया गया जो रिपोर्ट के साथ संलग्न है तामिला रिपोर्ट सहित संलग्न है।

संलग्न नक्शा नजरी में मकान व दुकानात वादी को अक्षर ABCD से दर्शाया गया है जिसकी माप व चतुर्सीमायें मय स्थान दर्शाया गया है। के मकान स्थित हाल जिसमें विवादित कारोबार भूसा बेचने का कार्य को लाल रेखा अक्षर EBGF से दर्शाया गया है निरीक्षण के समय हाल में अन्दर भूसा दुजली से लटकाकर तुलाई हेतु धर्मकांटा लगा है तथा प्रतिवादीगण सं० 3 व 4 की ओर छत की ऊंचाई से लगभग 6-7 फीट चौडाई में खडंजे पर त्रिपाल लटका हुआ लगा है। नक्शा नजरी में अक्षर HIBA से दुकान व मकान दो मंजिला प्रतिवादीगण सं० 3 व 4 को दर्शाया गया है जिसमें दो दुकानों में परचून का सामान आदि बेचने का कार्य, तथा

[signature]

क्रमशः-2

(2)

बाहर खड़न्जा पर चारपाईया आदि सामान रखा है, एवम् D अक्षर से दर्शाये स्थान से लोहे का खुला जीना लगा है। नक्शा नजरी में अक्षर J K L M से मकान व दुकान प्रतिवादी सं० 1 व 2 को दर्शाया गया है। जिसमे आटा पिसाई चक्की लगी है तथा आगे खड़न्जे पर टीन पड़ी है।

निरीक्षण के समय वादी व उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि प्रतिवादीगण वादी को भूसा बेचने के विवादित कारोबार को बन्द करना चाहते है जबकि प्रतिवादीगण स्वयं आम रास्ता खड़न्जे पर जीना, टीन शैड लगाकर व चारपाईया आदि सामान रखकर आम रास्ता खड़न्जा पर कब्जा किये हुये है तथा प्रतिवादी गण आटा चक्की चलाकर, परचून की दुकानो पर मनमानी तरीके से सामान बेचकर आस-पास के व्यक्तियों को परेशान रखते है। शेष बाते नक्शा नजरी में यथा दर्शित है।

श्रीमानजी. रिपोर्ट सेवा में प्रस्तुत है।

प्रस्तुत कर्ता
[signature]
13/1/2011
भूपेन्द्र कुमार
अमीन [illegible]
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

सत्य फोटो प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिक
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

26

R-3/3

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) गाजियाबाद
मूल वाद सं० 7 सन् 2011
वीरेन्द्र बनाम सोनू आदि
नक्शा नजरी मय माप विवादित स्थल

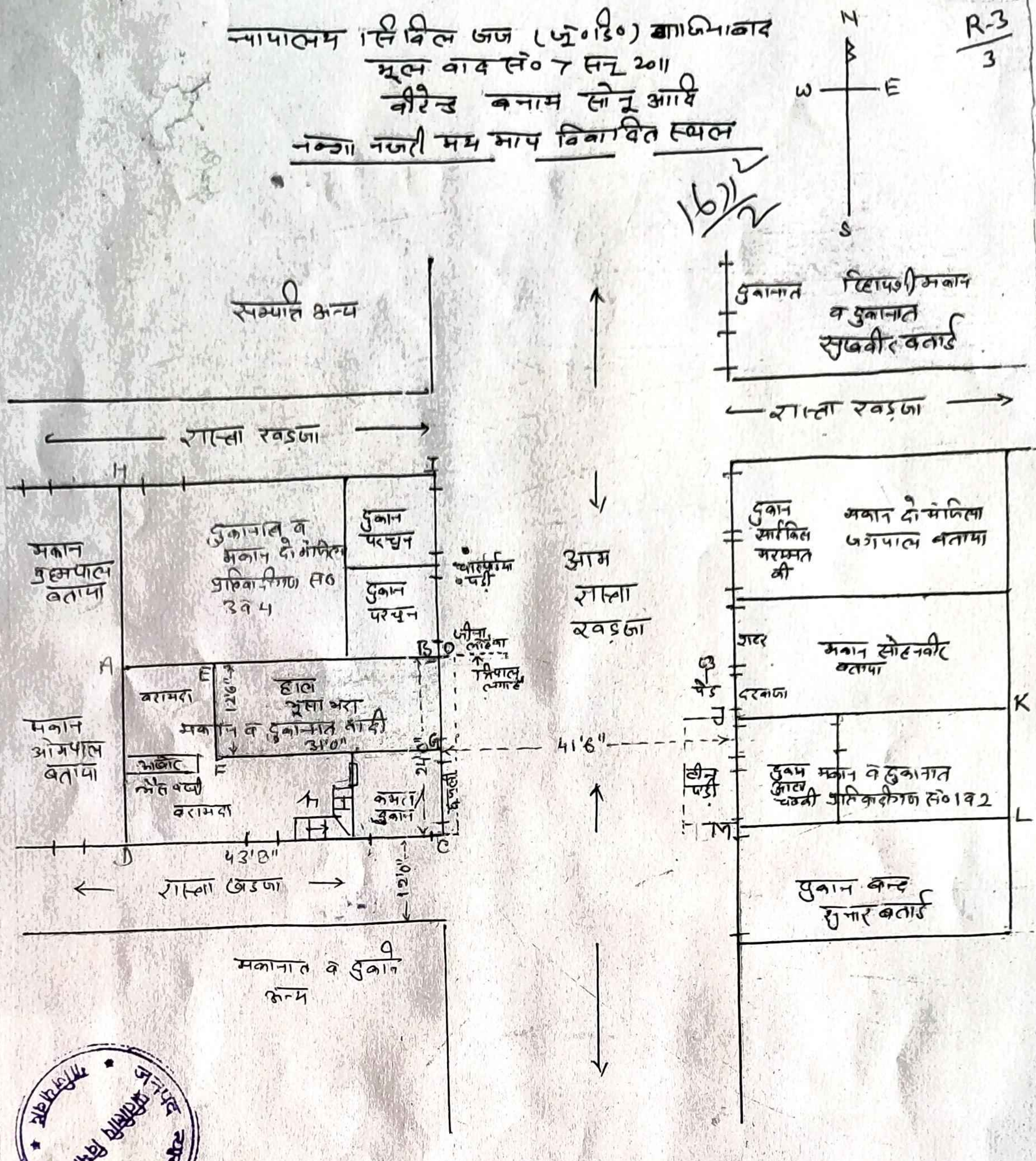

तैयार कर्ता
Bhavesh Kumar
13/01/2011
भावेश कुमार
अमीन देहात
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

145
16-1-23

27

R-4
1

न्यायालय श्रीमान I A.C.J (J.D) गाजियाबाद

वाद संख्या 07/2011

वीरेन्द्र बनाम सोनू आदि

प्रमाणित प्रति निर्णय

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED (10 stamps)

जनपद प्रतिलिपि विभाग न्यायालय गाजियाबाद

Date-16-01-2023

प्रार्थना पत्र देने की तिथि 16/1/23

नोटिस / तैयार की तिथि 20/1/23

प्रतिलिपि देने की तिथि 20/1/23

बीस जनवरी 2023

20/1/23

मुख्य प्रतिलिपिक
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

STAMP 10 Rs 100 आवेदक

Head Copyist

Thakur Munna Singh, Advocate
Chamber No. 272,
C.O.P No. 079130/2018
Distt. Court Compound, Ghaziabad
Mob. No.- 9650363405

CNR-UP0286-000074-2011

58

96/1 28

R-5/2

न्यायालय अपर सिविल जज (जूनियर डिवीज़न)कोर्ट संख्या १ (गाज़ियाबाद)

उपस्थित : विरेक अग्रवाल (उ. प्र. न्यायिक सेवा)

वाद संख्या: 07/2011

बीरेंद्र सिंह पत्र श्री नाहर सिंह कश्यप, निवासी मंगल बाजार निकट वकील बिल्डर्स राजीव गार्डन कॉलोनी, गाओं घरौटी खुर्द, वार्ड संख्या २४, लोनी, थाना- डाक खाना- परगना लोनी , तहसील व् जिला गाज़ियाबाद

...वादी

बनाम

१. सोनू चक्की वाले पुत्र अंतराम
२. जयपाल उर्फ़ अगत सिंह
३. बिराम सिंह पुत्र महिपाल
४. धर्मवीर पुत्र महिपाल अजीव
५. कमलेश पत्नी धर्मवीर
६. अमित पुत्र धर्मवीर
७. वेदवती पत्नी जगत सिंह

सभी निवासीगण मंगल बाजार निकट वकील बिल्डर्स, राजीव गार्डन कॉलोनी, गांव धरौटी खुर्द, वार्ड नंबर २४, लोनी, थाना डाकखाना - परगना लोनी तहसील व् जिला गाज़ियाबाद

प्रतिवादीगण

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण योजित किया गया है ।

संक्षेप में वादी का यह कथन है की वादी कई वर्ष से अपनी दूकान में स्थित पते उक्त पर पशुओ के भूसा बेचने का काम करके अपने परिवार का गजरा करता है जबकि प्रतिवादी संख्या एक चक्की चला कर आटा पीसने व् आटे में चावल की किनकी पीसकर मिलावट करके बेचने का कारोबार करता है जो चावल की किनकी आटे में मिलावटी हो जाने पर मानव स्वस्थ पर वीप्रीत असर डालती है । प्रतिवादी संख्या दो ने अपने मकान के तथा वादी के दूकान के सामने खड़ंजे से लोहे का जीना चढ़ाया हुआ है जिससे वादी के मकान में चोरो के घुसने की सुविधा पैदा होती है जबकि प्रतिवादीगण १ व् २ ने अपनी दूकान के आगे मैं खड़ंजे पर ६-७ फ़ीट चौड़ाई में चबूतरा बनाकर तीन शेड डाला हुआ है । यह की वादी का भूसा बेचने का कार्य जिसे इस वाद पत्र में आगे सिर्फ विवादित कारोबार कहा गया है, पूर्ण रूप से वैधानिक है। भूसा गेहू अनाजों की फसल से किया हुआ पूर्ण से कृषि उपज है जो गए भैस आदि दुधारू पशुओ को पौष्टिक आहार है जबकि प्रतीवादीगण के कारोबार पूर्ण तय अवैधानिक हानिकारक है ।यह की प्रतिवादीगण, वादी की दुकान को स्थित मंगल बाजार, वादी के भूसा बेचने बेचने के कारोबार की अवैधानिक रूप से बंद कराकर वादी को बेरोज़गार करना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी

14/3/18

अधिकार प्राप्त नहीं है । वादी द्वारा प्रार्थना की गयी है की स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की पारित की जावे की प्रतिवादीगण अवैधानिक तरीके से वादी के भूसा बेचने के कारोबार को बंद कराने व कारोबार में अवैधानिक हस्तक्षेप करने से हमेशा के लिए बाज़ रहे।

प्रतियादीगण द्वारा प्रतिवाद पत्र में संक्षेप में यह कथन किया गया की वैधानिक दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति को को भी कारोबार जो की लोगो के स्वस्थ्य के लिए हानिकारक हो करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी के कारोबार से लोगो को श्वास मेने में दिक्कत होती है और रेत लोगो की श्वास के जरिये शरीर से अंदरर तक जाता है तथा खाना आदि में उड़ने वाली धुल के कारण खाना भी दूषित हो जाता है । प्रतिवादी संख्या- तीन वादी द्वारा किये गए कारोबार से सख्त बीमार चल रहा है जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है । वादी द्वारा अवैधानिक कार्य से होने वाले प्रदुषण से प्रतिवादीगण को हर समय अपनी जान का खतरा बना रहता है । प्रार्थना की गई की प्रस्तुत वाद खंडित होने योग्य है तथा खंडित फरमाया जावे ।

प्रस्तुत वाद में दिनांक 13.2.12 को निम्न वादबिंदु विरचित किए गए:

1. क्या वादी द्वारा वादपत्र में कथित विवादित कारोबार विधिक रूप से किया जा रहा है ?
2. क्या वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद कारण उत्पन्न हुआ है ?
3. क्या वाद का मूल्यनकन कम किया गया है ?
4. क्या अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?
5. क्या वादी किसी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर फैसला नामा पलिस चौकी लोनी (फोटोकॉपी) दिनांक १.१.११ (कागज़ संख्या १० ग) रसीद हाउस टैक्स (कागज़ संख्या ११) पहचान पात्र वादी (कागज़ संख्या १२ग) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्राप्त कॉपी प्रार्थना पत्र (कागज़ संख्या २७ग), न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट ग़ाज़ियाबाद द्वारा कार्यवाही संख्या ३/११ अंतर्गत धरा १३३ सी ार पि सी सर्कार बनाम वीरेंदर में पारित निर्णय दिआँक ३१.१.२०१३ की प्रमाणित प्रति (कागज़ संख्या ९१ग) तथा नगर पालिका परिषद् लोनी द्वारा निर्गत पत्रांक १३०८/२०१५-१६ दिअनानक १४.१.१६ का मूल अनुमति पत्र (कागज़ संख्या ९२ग) दाखिल किया गया है। वादी द्वारा मौखिक सख्या के रूप में स्वयं वीरेंदर को बतौर PW1 परीक्षित कराया गया, अंग्रेज़पाल को बतौर PW2 परीक्षित कराया गया, अंग्रेज़पाल को बतौर PW2 परीक्षित कराया गया, देशपाल को बतौर PW3 परीक्षित कराया गया, अब्दुल सत्तार को बतौर PW4 परीक्षित कराया गया तथा आबिद अली को बतौर PW5 परीक्षित कराया ।

14/3/18

96 २९/१ R-५/३

प्रतिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में, फोटोकॉपी प्रतिवादी संख्या ३ के इलाज के कागज़ (कागज़ संख्या २९ ग व ४९ग) एक किता फोटोकॉपी पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग़ाज़ियाबाद दिनांक १६.१२.२०१० (कागज़ संख्या ३० ग) प्रस्तुत किया गया । मौखिक साक्ष्य की रूप में प्रतिवादी द्वारा स्वयं सोनू को बतौर DW1 परीक्षित कराया, बिरम सिंह को बतौर DW2 परीक्षित कराया , धर्मवीर को बतौर DW3 परीक्षित कराया , हरिओम को बतौर DW4 परीक्षित कराया । पत्रावली पर अमीन कमीशन रिपोर्ट कागज़ संख्या १६ग पर दाखिल है

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक रूप से अवलोकन किया गया तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता गण के तर्कों को दौरान बहस सुना गया।

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 1

न्यायालय द्वारा वाद बिंदु संख्या 1 इस आशय का विरचित किया गया कि "क्या वादी द्वारा वादपत्र में कथित विवादित कारोबार विधिक रूप से किया जा रहा है ?" वादी द्वारा अपने वाद पत्र में संक्षेप में यह कथन किया गया है की वादी कई वर्ष से अपनी दूकान में स्थित पते उक्त पर पशुओ के भूसा बेचने का काम करके अपने परिवार का गजरा करता है जबकि प्रतिवादी संख्या एक चक्की चला कर आटा पीसने व् आटे में चावल की किनकी पीसकर मिलावट करके बेचने का कारोबार करता है । यह की वादी का भूसा बेचने का कार्य पूर्ण रूप से वैधानिक है। भूसा गेहू अनाजों की फसल से किया हुआ पूर्ण से कृषि उपज है जो गाय भैंस आदि दुधारू पशुओ को पौष्टिक आहार है। दूसरी ओर से प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद पत्र में कथन किया गया की वैधानिक दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति को को भी कारोबार जो की लोगो के स्वस्थ्य के लिए हानिकारक हो करने का कोई अधिकार नहीं है । यह की वादी प्रतिवादीगण के स्वस्थ्य से खिलवाड़ करता चला आ रहा है जिससे लोगो को श्वास लेने में दिक्कत होती है और रेत लोगो की श्वास के ज़रिये शरीर में अंदर तक जाता है। प्रतवादी संख्या ३ वादी द्वारा किए गए कारोबार से सख्त बीमार चल रहा है।

वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में नगर पालिका परिषद् लोनी, पत्रांक संख्या १३०८/न. प.प./२०१५-१६ (कागज़ संख्या ९२ ग), दिनांक १४.०१.२०१६ दाखिल किया गया है, उक्त पत्रांक अनुसार अधिशासी अधिकारी द्वारा वादी को साप्ताहिक मंगल बाजार, राजीव गार्डन, वार्ड नंबर २४, लोनी में भूसा बेचने व् रखने की अनुमति पत्रांक में वर्णित शर्तो पे दी गयी।अतः वादी द्वारा भूसे रखने का काम नगर पालिका की अनुमति सी किया जा रहा है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौरान बेहेस यह तर्क प्रस्तुत किया गया की वादी उक्त भूसा अपनी दूकान के बहार रख रहा है । परन्तु उक्त पत्रांक में स्पष्ट है की वादी द्वारा भूसा दूकान के बहार नहीं रखा जाएगा। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी द्वारा इस सन्दर्भ में कोई प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः न्यायालय के मत मैं इस वाद में केवल यह बिंदु मुख्य है की क्या वादी का विवादित

14/3/18

कारोबार वैधानिक है ? प्रतिवादी साक्षी संख्या २, बिरम सिंह द्वारा अपनी जीरह दिनांक १.८.१४ में यह कथन किया है की "वीरेंदर के भूसे की दूकान के अलावा और भी भूसे की दुकान है जो १०० फ़ीट पर है, वीरेंदर की दुकान मंगल बाजार में ४० फ़ीट पर है"। अतः प्रतिवादी साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है की मंगल बाजार में वादी के अलावा और भी भूसे की दुकान है । प्रतिवादीगण द्वारा यह भी कथन किया गया की प्रतिवादी संख्या ३ वादी के कारोबार के कारण सख्त बीमार चल रहा है। इस सन्दर्भ में प्रतिवादी द्वारा मेडिकल दाखील किये गए है जो कागज़ संख्या 29 ग व् 49 ग पर दाखिल है । न्यायालय के मत में जहा तक विवादित कारोबार का प्रश्न है उक्त कारोबार वादी द्वारा नगर पालिका द्वारा अनुमति प्राप्त करने के उपरांत किया जा रहा है जो दिनांक १४.०१.२०१६ को अधिशासी अधिकारीनगर पालिका परिषद् लोनी द्वारा दी गयी थी, किया जा रहा है। अतः वाद बिंदु संख्या एक सकारात्मक रूप से वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध निस्तारित किये जाने योग्य है। तदनुसार वाद बिंदु संख्या 1 सकारात्मक रूप से वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिंदु संख्या 2</u>

न्यायालय द्वारा वाद बिंदु संख्या 2 इस आशय का विरचित किया गया कि "क्या वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद कारण उत्पन्न हुआ है ?" इस सन्दर्भ में वादी द्वारा यह कथन किया गया है की प्रतिवादीगण वादी के कारोबार को जबरन बंद करने के प्रयास में है इस पर वादी द्वारा कागज़ संख्या २७ग पर प्रकाश डाला गया जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिनांक २०.१.२०११ का वादी द्वारा दिया गया शिकायत पत्र है । वादी द्वारा कथन किया गया है की प्रतिवादीगण वादी के करोबार को अवैधानिक रूप से बंद कराकर वादी को बेरोज़गार करना चाहते है।DW1 द्वारा जिरह दिनांक १.८.१४ को यह कथन किया गया की "मैंने इस मुकदम्मे के सिवाय और कोई मुकदम्मा सिविल कोर्ट में नहीं किया है मैंने वादी के भूसे के काम को बंद कराने के लिए इस मुकदम्मे में प्रार्थना की है" । वादी द्वारा न्यायलय परगना मजिस्ट्रेट गाज़ियाबाद द्वारा आदेश दिनांक ३०.०१.२०१३ दाखिल किया गया जिसमे धारा १३३ सी.आर,पि,सी की कार्यवाही को सम्पत किया गया था, उक्त प्रकाश में वादी द्वारा कथन किया गया की प्रतिवादीगण वादी के कारोबार को बंद करने के लिए प्रायसरत है । अतः वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद कारण उत्पन्न हुआ है। तदुन्सार वाद बिंदु संख्या २ सकारत्मक रूप से वादी के पक्ष में निस्तारित किया जाता है ।

<u>निस्तारण वाद बिंदु संख्या 3 व वाद बिंदु संख्या 4</u>

न्यायालय द्वारा वाद बिंदु संख्या 3 इस आशय का विरचित किया गया कि क्या वाद का मूल्यनकन कम किया

14/3/18

30
96 5/3
R-4/4

गया है ? तथा वाद बिंदु संख्या 4 इस आशय का विरचित किया गया कि "क्या अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?" उक्त दोनों वाद बिंदु नकारात्मक रूप से प्रतिवादी के विरुद्ध तथा वादी के पक्ष में दिनांक १३.२.2011 को निर्णीत किये गए थे ।उक्त आदेश दिनांक १३.२.२०११ इस नीर्णय का भाग रहेगा।

निस्तारण वाद बिंदु संख्या 5

न्यायालय द्वारा वाद बिंदु संख्या 5 इस आशय का विरचित किया गया कि क्या वादी किसी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ? वादी द्वारा प्रार्थना की गयी है की स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की पारित की जावे की प्रतिवादीगण अवैधानिक तरीके से वादी के भूसा बेचने के कारोबार को बंद कराने व कारोबार में अवैधानिक हस्तक्षेप करने से हमेशा के लिए बाज़ रहे I न्यायालय द्वारा वाद बिंदु संख्या एक एवं वाद बिंदु संख्या २ वादी के पक्ष में निस्तारित किया जा चूका है अतः न्यायलय के मत में वादी वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है I तदनुसार वाद बिंदु संख्या ५ निस्तारित किया जाता है ।

उक्त समस्त वाद बिंदु के निस्तारण के उपरांत न्यायलय इस मत में है की वादी अपना वाद सिद्ध करने में सफल रहा है तथा वादी का वाद आज्ञप्त किये जाने योग्य है I

आदेश

वादी का वाद आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है की वे अवैधानिक तरीके से वादी के भूसा बेचने के कारोबार को बंद कराने व कारोबार में अवैधानिक हस्तक्षेप करने से हमेशा के लिए बाज़ रहे ।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

Vinod 14/3/18

14.03.2018

विरेक अग्रवाल
अपर सिविल जज (जू. डी)
कोर्ट संख्या 1, गाजियाबाद

आज दिनांक 14.03.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया ।

Vinod 14/3/18

सत्य फोटो प्रतिलिपि

14.03.2018

विरेक अग्रवाल
अपर सिविल जज (जू. डी)
कोर्ट संख्या 1, गाजियाबाद

मुख्य प्रतिलिपिक
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

145
16-1-2023 31

न्यायालय श्रीमान I A.C.J.(J.D.) गाजियाबाद

R-5
1

मूल वाद संख्या 07/2011
वीरेन्द्र बनाम सेतू आदि

अनुमति पत्र पत्रांक 1308/न०पा०प०/2015-16 दिनांक-14-01-2016 प्रमाणित प्रति

Date- 16-01-2023

प्रार्थना पत्र देने की तिथि 16/1/23
नोटिस/तैयार की तिथि 20/1/23
प्रतिलिपि देने की तिथि 20/1/23
20/1/23
मुख्य प्रतिलिपिक
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

बाद जनवरी 2023

STAMP 10 Rs 100

Head Copyist

आवेदक

Thakur Munna Singh, Advocate
Chamber No. 272
C.O.P No. 0[illegible]
Distt. Court Compound, Ghaziabad
Mob. No. 9650[illegible]

64

कार्यालयः- नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

प० सं० संख्या-1308/न0पा0प0/2015-16 दिनॉक 14-01-2016 R.S 2

9251

श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नाहर सिंह कश्यप
निवासी- मंगल बाजार, राजीव गार्डन, वार्ड नम्बर-24
लोनी (गाजियाबाद)

विषयः भूसा बेचने, भूसा रखने (भण्डारण) सहित भूसे के काम करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 02-11-2015 का अवलोकन करने का कष्ट करे, इस ओर आप द्वारा साप्ताहिक मंगल बाजार, राजीव गार्डन, वार्ड नम्बर- 24, लोनी में भूसा बेचने, भूसा रखने (भण्डारण) सहित भूसे के काम करने हेतु अनुमति चाही गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में भूसा बेचने, भूसा रखने (भण्डारण) सहित भूसे के काम करने की अनुमति निम्न नियम/शर्तो पर दी जाती है-

नियम/शर्ते-

1- आपको अपने हॉल/दुकान में भुसा रखना होगा, दुकान से बाहर भुसा रखने की कोई अनुमति नही है।

2- यदि आपके विरूद्ध किसी की ओर से प्राप्त आपत्ति की विधि व नियमानुसार जांच कार्यवाही एवं सुनवाई होने उपरान्त यदि आपत्ति सही पायी जाती है तो उक्त अनुमति निरस्त कर दी जायेगी।

3- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/प्रदूषण विभाग के समस्त विभागों की शर्तों के अनुसार भूसा बेचना होगा।

4- विवाद के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय द्वितीय पक्ष अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, लोनी में निहित होगा।

5- आपको अपने भवन/दुकान के सामने रास्ते पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही करना होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, लोनी
लोनी (गाजियाबाद)
14/01/2016

सत्य फोटो प्रतिलिपि
20/11/23
मुख्य प्रतिलिपिक
सिविल कोर्ट, गाजियाबाद

G:\2016\January 2016.doc

048766

12/055/02880

अनुक्रमांक 099354

33

R-6

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश

बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, यू०पी०

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश

HSIBUP-94

इण्टरमीडिएट परीक्षा, १९९४

प्रमाणित किया जाता है कि परिषद् के अभिलेखानुसार

VERANDER KUMAR

आत्मज श्री NAHAR SINGH ने अप्रैल/मई १९९४ की

इण्टरमीडिएट परीक्षा निम्नलिखित विवरण के अनुसार उत्तीर्ण की है :-

1. HINDI
2. AGRONOMY FIRST
3. AGR BOTANY
4. PHY CLIMATOLOGY
5. AGR ENGINEERING
6. AM&E STATISTICS
7. AGRONOMY SIXTH
8. AGR ECONOMICS
9. ANIML HUSBANDRY
10. AGR ZOOLOGY
11. AGR CHEMISTRY

उत्तीर्ण श्रेणी SECOND

विद्यालय/केन्द्र HINDU COLL KANDHLA MUZAFFARNAGAR

प्रमाण पत्र क्रमांक F03876

इलाहाबाद REGULAR

दिनांक 5TH JULY, 1994

(प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव)
सचिव

'D' का अर्थ सम्बन्धित विषय में "विशेष योग्यता" है।
'HONOURS' का अर्थ "सम्मान सहित उत्तीर्ण" है।
टीप-विषय का पूर्ण विवरण पृष्ठ भाग पर अंकित है।

66

34

R-7/1

Speed-Post

To,
Virender S/o Shri Naghar Singh
R/o Ward No. 13
Near Vakil Builder
Aejit Garden Main
Mangal, Faizan Road,
Loni, Ghaziabad U.P.
~~8595134084~~ - 8595134087
9312769820

EMS SPEED POST
ED252714192IN

From
Varsha Gupta Adv.
Ch. A-14 THC Delhi
9999761210

(141)

R-7
2

Sign In Register

हिन्दी

भारतीय डाक
India Post

G20

Azadi Ka Amrit Mahotsav

You are here Home>> **Track Consignment**

Quick help

Track Consignment

* Indicates a required field.

* Consignment Number
ED252714192IN

Track More

Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
District Courts SO North Delhi	07/01/2023 15:53:32	201102	29.50	Inland Speed Post	Loni SO	11/01/2023 17:45:57

Event Details For : ED252714192IN
Current Status : Item Delivery Confirmed

Date	Time	Office	Event
11/01/2023	17:45:57	Loni SO	Item Delivery Confirmed
11/01/2023	12:19:39	Loni SO	Out for Delivery
11/01/2023	09:59:42	Loni SO	Item Received
07/01/2023	16:17:23	District Courts SO North Delhi	Item Bagged
07/01/2023	15:53:32	District Courts SO North Delhi	Item Booked

Home
About Us
Forms
Recruitments
Holidays
Feedback
Right To Information

Tenders India
Related sites
Website Policies
Contact Us
Employee Corner

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL:
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

MEMORANDUM OF APPLICATION

(UNDER SECTION 14 & 18 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT 2010)

O.A. NO. __________ /2022

IN THE MATTER OF:-

SOHAN VIR SINGH

S/O SHRI ANTRAM

R/O WARD NO.10, RAJIV GARDEN,

MAIN MANGAL BAZAR ROAD,

LONI, GHAZIABAD, U.P.

... APPLICANT

VERSUS

1. VIRENDER

   S/O SHRI NAAHAR SINGH

   R/O WARD NO.10, RAJIV GARDEN,

   MAIN MANGAL BAZAR ROAD,

   LONI, GHAZIABAD, U.P.

2. MUNICIPAL CORPORATION OF LONI, GHAZIABAD

   THROUGH ITS COMMISSIONER,

   TEHSIL LONI, DISTRICT GHAZIABAD

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL: PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

MEMORANDUM OF APPLICATION

(UNDER SECTION 14 & 18 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT 2010)

O.A. NO. __________ /2022

IN THE MATTER OF:-

SOHAN VIR SINGH
S/O SHRI ANTRAM
R/O WARD NO.10, RAJIV GARDEN,
MAIN MANGAL BAZAR ROAD,
LONI, GHAZIABAD, U.P.

... APPLICANT

VERSUS

1. VIRENDER
   S/O SHRI NAAHAR SINGH
   R/O WARD NO.10, RAJIV GARDEN,
   MAIN MANGAL BAZAR ROAD,
   LONI, GHAZIABAD, U.P.
2. MUNICIPAL CORPORATION OF LONI, GHAZIABAD
   THROUGH ITS COMMISSIONER,
   TEHSIL LONI, DISTRICT GHAZIABAD

3. DISTRICT MAGISTRATE

DISTRICT GHAZIABAD, U.P.

... RESPONDENTS

APPLICATION UNDER SECTION 14 READ WITH SECTION 18 OF THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT, 2010 SEEKING DIRECTIONS TO THE RESPONDENTS NO.2 AND 3 TO TAKE PROMPT COERCIVE AND REMEDIAL ACTION AGAINST THE RESPONDENT NO.1 FOR AIR POLLUTION

MOST RESPECTFULLY **SHOWETH:-**

FACTS AND GROUNDS

1. That the applicant is a law abiding citizen and residing at the address mentioned in above. The applicant is a victim of the nuisance, voice and air pollution created by the respondent no.1 from his continuing unabated and around the area of residence of the applicant.

2. That the respondent no.1 is running a shop of cattle fodder (Bhusa) from his premises and due to the circulation of the dust of the fodder and the fodder

also spayed in the entire adjacent houses and on the road.

3. That the applicant wrote a written complaint to the respondent no.3 which was duly received on 15.07.2022. The copy of the complaint and photographs are annexed herewith as ANNEXURE-A-1 (colly)

4. That the local residents of the area along with the applicant lodged their complaint to the respondent no.2 upon which a notice dated 25.08.2022 has been served upon the respondent no.1 and the shop of the respondent no.1 was closed by the officials of the respondent no.2 on 30.08.2022 but the respondent no.1 again open the shop after an hour and breached the order of the respondent no.2. The copy of the notice dated

22.10.2022 is annexed herewith as ANNEXURE-A-2.

5. The applicant also lodged a complaint to the Chief Minister, Uttar Pradesh dated 31.10.2022 and the copy of the same is annexed herewith as ANNEXURE-A-3.

6. That the applicant has also sent his complaints dated 5.08.2022, 14.09.2022, 18.10.2022 and to the Public Grievance Cell but to no effect. The copies of the same are annexed herewith as ANNEXURE-A-4 (Colly).

7. That the applicant being aggrieved by the acts of blantant disregard of all the norms, rules and laws and provisions with respect to air pollution and also aggrieved by the arbitrariness of the respondent authorities i.e. respondents no.2 and 3 who are not taking any action

against the illegal activities of the respondent no.1 has preferred the present application.

8. That the complaints made by the applicant and other local residents of the area are lack of any decisive and effective action by the authorities concerned.

9. That since the respondents no.2 and 3 have not taken any action against the illegal running of fodder shop by the respondent no.1 the applicant has no alternative remedy with him except to approached this Hon'ble Tribunal.

10. That because of the nuisance and air pollution created by the respondent no.1 from his cattle fodder shop is not bearable and the same is liable to be stopped immediately because the air

around the GNCT of Delhi is deteriorating day to day and the same became a gas chamber.

Limitation

11. That the present application has been filed with regard to illegal running of cattle fodder shop by the respondent no.1. The applicant approached the respondents no.2 and 3 to take action against the illegal cattle fodder shop and the same is still running by the respondent no.1 as such the present application is within the period of limitation.

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to:-

a) direct the respondents no.2 and 3 to close/ stop the running of the cattle fodder shop of the respondent no.1;

b) direct the respondents no.2 and 3 to impose environmental compensation upon the violation of the orders passed by this Hon'ble Tribunal and recover the same;

c) any other order and/or directions which this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper be also passed, in the interest of justice.

DELHI:

DATED:

APPLICANT

THROUGH

VASHU GUPTA
ADVOCATE
CH. NO. L-14, TIS HAZARI COURTS,
DELHI-110054
MOB: 9999761210
EMAIL:adv.vasugupta@gmail.com

14

Before The National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi
Original Application No. ..../2020

In the Matter of :

Sohan Vir Singh & Ors. ..... Applicant

Versus

Virender Kashyap ..... Respondents

AFFIDAVIT

I, Sohan Vir Singh, S/o Sh. Antram, R/o Ward No. 10,Rajiv Garden, Main Mangal Bazar Road Loni, Ghaziabad U.P., do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is the Authorized Representative of the applicant's company in accompanying application, hence well conversant with facts of the case and competent to swear this affidavit.

2. That the deponent has filed accompanying application, contents of which may kindly be read as part and parcel to this application as well, which are not being repeated here for the sake of brevity.

3. That the accompanying application has been drafted by my counsel and I have signed the same after having gone

The Seal of Oath Commissioner S. L. No. 568/2021 ZAREEF AHMAD App. By. Delhi High Court Period-17/4/2021 to 16/4/2023 Tis Hazari Court Delhi-54

40

14

Before The National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi
Original Application No. ..../2020

In the Matter of :

Sohan Vir Singh & Ors. ..... Applicant

Versus

Virender Kashyap ..... Respondents

AFFIDAVIT

I, Sohan Vir Singh, S/o Sh. Antram, R/o **Ward No. 10,Rajiv** Garden, Main Mangal Bazar Road Loni, **Ghaziabad U.P., do** hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is the Authorized Representative of the applicant's company in accompanying application, hence well conversant with facts of the case and competent to swear this affidavit.
2. That the deponent has filed accompanying **application,** contents of which may kindly be read as part and parcel to this application as well, which are not being repeated here for the sake of brevity.
3. That the accompanying application has been drafted by my counsel and I have signed the same after having gone

40

14

Before The National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi
Original Application No. ..../2020

In the Matter of :

Sohan Vir Singh & Ors. ..... Applicant

Versus

Virender Kashyap ..... **Respondents**

AFFIDAVIT

I, Sohan Vir Singh, S/o Sh. Antram, R/o **Ward No. 10,Rajiv** Garden, Main Mangal Bazar Road Loni, **Ghaziabad U.P., do** hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is the Authorized Representative of the applicant's company in accompanying application, hence well conversant with facts of the case and competent to swear this affidavit.

2. That the deponent has filed accompanying **application,** contents of which may kindly be read as part and parcel to this application as well, which are not being repeated here for the sake of brevity.

3. That the accompanying application has been drafted by my counsel and I have signed the same after having gone

15. 41

through and understood the contents of which were read over and explained to me in vernacular.

4. That the facts mentioned therein in the application are true and correct to the best of my knowledge and belief and also based on legal advice and believed by me to be true and correct.

DEPONENT

VERIFICATION:

Identify the Deponent who has signed in my Presence

Verified at Delhi on this 15 NOV 2022 day of Nov 2022, that the contents of above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

CERTIFIED THAT THE DEPONENT
Shri/Smt.
S/o W/o
R/o
Iden
has
Delhi 15 NOV 2022
that the
been rea
correct to

Oath Commissioner Delhi

42

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

विरेन्द्र कुमार
Virendra Kumar
जन्म तिथि/ DOB:
पुरुष / MALE

आधार-आम आदमी का अधिकार

AADHAAR
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

वीरेन्द्र

अभिभाषक पत्र (वकालतनामा)

कल्याणकारी स्टाम्प दस रुपये RUPEES TEN F 01609044

2 रु. कोर्ट फीस Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

66070 43

बार एसोसिएशन गाजियाबाद (उ०प्र०) सत्यमेव जयते धर्म संस्थापनार्थाय

न्यायालय Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi

वाद सं० Original Applicati सन् 2022

वादी अभियोगी
अपीलार्थी प्रार्थी
प्रतिवादी अभियुक्त
रेस्पोन्डेंट विपक्षी

In the Matter of -

Sohanbir Singh **विपरीत** Virendar Kashyap and Others.

मैं/हम कि Virendar Kashyap S/o Late Sri Nahan Singh Kashyap, R/o Mangal Bazaar, Rajeev Garden, Loni, Distt. - Ghaziabad

उपरोक्त प्रकरण में हम आपनी ओर से पत्र समर्थन हेतु श्री Thakur Munna Singh Ad, Ranjeet Chhonkar Ad. को कानूनी/निश्चित शुल्क नियत करके तथा अभिभाषक (वकील) नियुक्त करता हूँ/करते हैं/स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि उक्त एडवोकेट हमारी ओर से पत्र(अर्जी) दावा प्रतिवाद पत्र (ब्यान तहरीरी) वाद स्वीकार पत्र, विवाद पत्र, पुनर्रावलोकन एवं पुनर्निर्णय प्रार्थना पत्र (दरख्वास्त) शापथ्यिक कथन (हलफनामा) (दरख्वास्त इजराय) मुलजान अपील व इन्तकाल मुकदमा व निगरानी व तजबीज सानी इत्यादि प्रकार के अन्य प्रार्थना पत्रादि एवं लेखादि कि प्रतिलिपियां अपने हस्ताक्षर न्यायालय में प्रस्तुत करें, अथवा किसी पत्र पर आवश्यकतानुसार शपथ्यिक पृष्टीकरण करें और आवश्यक सवाल-जवाब करें और लेखादि की प्रतिलिपियां प्राप्त जनक अपने हसताक्षरों पावती देकर प्राप्त करें। हमारी ओर से किसी को मध्यस्थ नियुक्त करें तथा साक्षी गवाह माने और उससे सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें तथा उसका समर्थन करें तथा तसदीक करें वाद पत्र उठावें छोड़े अथवा समझौता करें अथवा सुलहनामा दाखिल करें तथा उसके सम्बन्ध में सतयापन कर उसका समर्थन करें। अर्थात प्रकरण से सम्बन्ध रखने वाले कुल कार्यवाही डिग्री के भरपाई होने को समय तक स्वतः या संयुक्त करें आवश्कता होने पर किसी अन्य वकील महोदय को वकील करें हमारी तरफ से इस्तगासा दायर करें अथवा अन्य अपराधिक वाद की पैरवी करें। मुकदमें हाजा में जो हर्जा मिलेगा उसे प्राप्त करने के अधिकारी एडवोकेट महोदय होंगे।

उक्त सभी कार्यवाही जो उक्त एडवोकेट करेंगे प्रत्येक दशा में अपने किये भांति हमको/मुझको सर्वथा स्वीकार होगी अगर मैं/हम कानूनी/निश्चित शुल्क उक्त एडवोकेट को न दें तो उनका अधिकार होगा कि वे हमारी मुकदमा की पैरवी न करें उपरोक्त दशा में उक्त एडवोकेट का कोई दायित्व नहीं रहेगा। अतएव यह अभिभावक पत्र लिख दिया गया कि प्रमाण रूप से समय पर काम आये।

न्यायालय
नं.मु0
बनाम
सन्

ह0
ह0
ह0 साक्षी
ह0 साक्षी

तिथि 24 माह 01 वर्ष 2023

साक्षी विशवास पर न्यायालय के लिये पैरवी स्वीकार है।

(Munna Singh) हस्ताक्षर वकील

Thakur Munna Singh, Advocate
Chamber No. 272,
C.O.P No. 079130/2018
Distt. Court Compound, Ghaziabad
Mob. No.- 9650363405

Ranjeet Chhonkar
Ranjeet Chhonkar, Advocate,
Regn. No. UP L03950/19
Chamber No. 272,
Distt. Court Compound, Raj Nagar, Ghaziabad
RanjeetChhonkar@gmail.com